



संतकबीरनगर पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04.07.2024

जनपद – संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170/ 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170/ 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 06 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 3308 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत गोपालपुर से कालर ने इवेन्ट संख्या 46558 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 06 व्यक्तियों (1- विंध्याचल पुत्र हरदेव, 2- आदित्य पुत्र विंध्याचल, 3- पारस पुत्र परदेशी, 4- बाबुलाल पुत्र पारस, 5-विजय सिंह पुत्र पारस, 6- विरेन्द्र पुत्र हरदेव निवासी गोपालपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए लोगो को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अमरेन्द्रचन्द्र चौधरी, हो0चा0 वकिल पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 44 वाहनों से 55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 44 वाहनों से 55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।